

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2000 सत्र

कैनिकल वर्गर्च सूची

शुक्रवार, दिनांक 4 अगस्त, 2000 (श्रावण 13, 1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) जम्मू और काश्मीर में आतंकवादियों द्वारा किये गये नरसंहार में मृत व्यक्ति;
(2) हिमाचल प्रदेश में दुई अतिवृष्टि से आई बाढ़ में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में समिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पठन पर रखा जाना

(1) श्री दुरुमसिंह कराडा, उर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 की उपधारा (5) (क) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल जबलपुर के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 1998-99 पठन पर रखेंगे।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ :-

(क) क्रमांक 3078-3787-98-पन्द्रह-1, दिनांक 16 दिसंबर, 1998;

(ख) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 12 अप्रैल, 1999;

(ग) क्रमांक एफ-5-2-99-पन्द्रह-1, दिनांक 1 मई, 1999;

(घ) क्रमांक एफ-15-40-97-पन्द्रह-1, दिनांक 15 जून, 1999;

(ड.) क्रमांक 3135-1157-99-पन्द्रह-1, दिनांक 14 अक्टूबर, 1999; तथा

(च) क्रमांक एफ-15-27-97-पन्द्रह-1, दिनांक 20 जून, 2000,

पठन पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, वित्तिया जिले के भरसूला ग्राम में पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, एडवोकेट विद्यावती पटेल, डॉ. छविलाल रात्रे, सदस्य, प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु आवक्षित वर्ग को अवसर न मिलने की ओर राज्यमंत्री चिकित्सा शिक्षा का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना क्षेत्र के कुरवाई राज्य मार्ग पर लूट की घटनाएँ घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती सुशीलादेवी ठाकुर, सदस्य, विद्या नगर स्थित खरी फाटक क्षेत्र में अवैध निर्माण होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(5) सर्वश्री मुज्जा सिंह, मुशीलाल, लालसिंह राणवत, सदस्य, बिष्णु जिला मुख्यालय से एक छात्र तथा ग्राम मेहरा निवासी एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) सर्वश्री शिवरत्न शर्मा, बुजमोहन अग्रवाल, सदस्य, रायपुर जिले के बालीदा बाजार पुलिस द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर लोगों को प्रताङ्कित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) श्री नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, शिवपुरी जिले में बैनिक वेतन भोगी वन कर्मियों के नियमितीकरण में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री अजय अन्नाकर (डाला), बुजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल में हेपेटाइटिस-बी रोग का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) श्री कंकर मुजारे, सदस्य, बालाघाट जिले के बैहर नगर वेचायत के कर्मियों को वेतन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री रामपाल सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के वनों में अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री महेश तिवारी, सदस्य, रायपुर एवं बस्तर संभाग में फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री बुजमोहन अग्रवाल, अजय अन्नाकर (डाला), लीलाराम भोजवानी, सदस्य, रायपुर संभाग के कुछ जिलों में अवैध शराब की बिक्री होने की ओर वाणिज्यक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री बनवारीलाल, सदस्य, कोरका जिले में स्थित भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा प्रदूषित रसायन छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री संजीव शाह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के अंगारा चौकी वन परिषेन्ट में तेन्दुपत्ते की तस्करी होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) श्री जगदीश मुवेल, सदस्य, धार जिले के धरमपुरी क्षेत्र में तालाबों के निर्माण में अनियमितता होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के गोविन्दपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मजदूर विरोधी कार्यवाही किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री सुधाकर बापट, सदस्य, सागर जिले के बीना नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) सर्वश्री अनुप मिश्रा, श्रीमती सुधा जैन, लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, नीमच शहर के इडस रोग से पीड़ित व्यक्तियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, राकेश शुक्ला, सदस्य, श्योपुर जिले के विद्यालयों की हाईस्कूल परीक्षा की पुस्तकाएं गायब होने की ओर लोक स्वास्थ्य विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कमल पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, इन्दौर शहर के जवाहर टेकरी क्षेत्र में लगातार खुदाई होने से उत्पन्न स्थिति की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री गणेशांकर, सदस्य, महानवी व हसदेव बांगों सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्र में कृषकों से अधिक जलकर की वसूली किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के बांदरी बन परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन होने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) सर्वश्री लाल सिंह, नरेन्द्र बिरथरे, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू करने में अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) सुश्री कुम्भ सिंह, सर्वश्री तेजसिंह सेधव, कमल पटेल, सदस्य, आबूआजिस जिले के ग्राम बड़दला निवासी एक आदिवासी को पुलिस द्वारा प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) सर्वश्री बुजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर जिले के ग्राम बिरिया में अजात बीमारी से अनेक व्यक्ति पीड़ित होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

५. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति, लोक लेखा समिति का 102 वा से 109 वा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्रीमती जून चौधरी, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का छठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

६. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर नगर स्थित शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन की मरम्मत एवं अतिरिक्त कमरे बनाये जाने,

(2) सुश्री कुम्भ सिंह, सदस्य, पञ्चा जिले के -

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डेवेन्ड नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कराये जाने; तथा

(ख) शासकीय माध्यमिक शाला बड़ा आजार पञ्चा का उच्चयन कराये जाने; एवं

(3) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के तहसील नरवर के ग्राम सड़ में पशु औषधालय खोले जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।

७. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, विशेषाधिकार समिति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भेंग की सूचना पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जावे"।

८. वक्तव्य

(1) श्री महेन्द्र कर्मा, जेल मंत्री, दिनांक 10 फरवरी, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अलारंकित प्रश्न संख्या 50 (क्रमांक-1608) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निर्धारित
समय

९. अग्रासवकीय संकल्प

20 मि.

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि जिन व्यक्तियों एवं पशुओं की बिजली करेट लगने से मृत्यु हो जाती है, उनको भी आर.बी.सी. में संशोधन करके मुआवजा राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाय"।

40 मि.

(2) श्री तेजसिंह सेधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि देवास में आरंभ की गई भू-जल संवर्धन मिशन के तहत रफ्वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक प्रदेश के समस्त जिलों में भू-जल संवर्धन के लिए लागू की जाय"।

50 मि.

(3) श्री राजनारायण सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -
"सदन का यह मत है कि इंदिरासागर परियोजना से डूब प्रभावित लोगों को कर्मांड क्षेत्र में बसाया जाय तथा ग्राम चावेल के पास की उद्धरण सिंचाई से खंडवा और पुनासा विकासखंडों की सिंचित किया जाय"।

1 घन्टा

(4) श्रीमती शबनम मौसी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -
"सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले सभी बेरोजगारों को गुमटी/भूखंड/दुकानों का पट्टा दिया जाय"।

भोपाल :
दिनांक : ३ अगस्त, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.